

SHRI SUNIL MAITRA : Do you say this after realizing the importance ?

(Interruptions)

MR. SPEAKER : How do you say that ? Can't you realize this thing ?

SHRI SUNIL MAITRA : Therefore, have it tomorrow.

MR. SPEAKER : We can discuss it.

श्री मनोराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, सिर्फ बात इतनी है कि आपने बात कह दी और बात साफ हो गई। अब सीफ इतना कह दो कि कल बहस करवा देंगे। कल के बाद इसकी इम्पोर्टन्स क्या रहेगी। अगर छ. दि. बाद बहस हुई, तो इसकी कोई इम्पोर्टन्स नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइए। फोरेन मिनिस्टर साहब से सलाह करके आज ही फैसला कर लेंगे।

श्री मनोराम बागड़ी : कल बहस हो जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि फोरेन मिनिस्टर से सलाह करके बिजनैस एडवाइजरी कमेटी टाइम फिक्स कर देगी।

श्री मनोराम बागड़ी : कल।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कैसे कह दूँ कि कल बहस होगी। एट दि अलियस्ट हो जाएगी।

श्री मनोराम बागड़ी : कल करवा दें।

श्री रामावतार शास्त्री : कल या परसों जरूर हो जाए।

श्री मनोराम बागड़ी : मैं फिर रैस्पैक्ट-फुल्ली कह रहा हूँ कि कल ही करवा दो।

SHRI SATYASADHNA CHAKRA. BORTY : In the whole statement, not a single word is there, that fundamental rights of the Ceylonese people have been violated. It is not there in the statement.

MR. SPEAKER : You are a professor; you are a very intelligent person.

(Interruptions)

MR. SPEAKER : Don't record. I have not allowed anybody.

(Interruptions)**

MR. SPEAKER : I would ask you very respectfully to put all your ideas before him when you discuss it. What is the use of saying all this now ?

DR. SUBRAMANIAM SWAMY : In view of the fast developing situation, the Minister should make a statement every day. Otherwise, all these false reports will come like this report about foreign troops. It is a very serious reports. Tomorrow itself he should make a statement.

SHRI G.M. BANATWALLA : I want only one second ..

(Interruptions)**

MR. SPEAKER : I have not allowed him. Don't record.

SHRI G.M. BANATWALLA : I walk out in protest.

16.50 Hrs.

(Shri G.M. Banatwalla then left the House).

ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL—CONTD.

MR. SPEAKER : Now Shri Satyendra Narain Sinha.

SHRI SATYENDRA NARAIN SINHA (Aurangabad) : I was submitting that the State Electricity Boards have not been functioning on commercial lines. Many of these Boards have incurred heavy losses. (Interruptions)

Most of these boards have incurred tremendous losses and I gave the example of the Bihar State Electricity Board, which has already incurred loss of Rs. 100—crores. I express my doubt as to how this amendment prescribing a minimum profit of 3 per cent and prescribing a uniform system of commercial recounting is going to improve the situation.

16.51 Hrs.

(SHRI F.H. MOHSIN *in the Chair*)

The Rajadyaksha Committee made a recommendation two years ago for structuring the management of the State Boards so that they may be able to discharge their obligations with regard to power generation and distribution, but sensible recommendation has not yet been given effect to; and the situation in general in the power sector is going from bad to worse. Therefore, I am expressing my deep concern with the way the Central Government or for that matter the State Governments are dealing with the situation. I mentioned a little while ago that some suggestions were made at the Power Ministers' Conference which took place last year for bringing the management of the State Electricity Boards in line with each other. A suggestion for national power grid was also made. Other suggestions were also made. While the State Governments have accepted the suggestion for the national power grid, we do not know yet what steps the Central Government is taking to lay down a norm, for uniform power. After all, the underlying idea of the national power grid is that the power from the surplus States will be taken to the deficit States and no State will suffer for want of power and there will be coordination. But, unfortunately, nothing has been done so far; and no step has been taken in this regard. How is the amendment going to streamline the administration of the Boards?

The Bihar State Electricity Board has got 30,000 workers plus 5050 engineers of officer grade. There is a grouping among the employees down to the shop floor level. The result is that the State Electricity Board has not been able to generate or utilize the capacity beyond 40 per cent. In what way, this amendment will help us in improving the working of the State Electricity Boards? How will you prescribe norms for staff requirement?

Expert committees have suggested that 8,000 to 10,000 employees can easily be axed. Is it possible for any Government to retrench such a large number of employees? Therefore, I am not very hopeful that this amendment will make any great dent

on the functioning of the State Electricity Boards.

Then, Sir, the Central Government has not been able to exercise any kind of control on the State Boards. I refer to Madhya Pradesh Electricity Board. The Planning Commission had sanctioned a certain amount of money for addition of capacity which was earmarked for the Korba Aluminium Plant and despite the fact that all kinds of pressures were brought to bear on the Madhya Pradesh Electricity Board, the Madhya Pradesh Electricity Board did not supply power to the Korba Aluminium Plant with the result that this plant suffered a loss of Rs. 200 crores and now it had been obliged to go in for a private captive plant.

Similarly, I was surprised to read in some newspapers that the Minister of State for Energy said that there was surplus energy in some places and he mentioned Bhatinda which was producing 420 Megawatts of power. It had to be shut down because there was no demand. As far as I know, the National Fertilizers have three plants there and they have a contractual agreement with the Bhakra-Nangal Board which was under obligation to supply them energy. But Bhakra Nangal Board did not supply them energy and this plant did not work for full capacity for want of energy and now the National Fertilizer Corporation of India is going to set up its own private captive plans for these plants, Bhatinda has got a surplus of 420 Megawatt and it had to close down because there was no demand for it. Is it not a sad state of affairs which the Government should explain? It appears that there is no coordination in the matter. And the public sector undertakings, though they are Government-owned, they are suffering for want of electricity and in the same area they have to go in for private captive plants and still it appears that the Government are not aware of it. So, it shows the lack of coordination.

On the power sector, I say that the performance has not been satisfactory. The Sixth Plan target of roughly 20,000 Megawatts is not going to be achieved and the Planning Minister the other day conceded that the target will have to be lowered

down to 14,000 Megawatts and even that lower target, whether it is going to be achieved or not has to be seen.

Then, Sir, this Central Electricity Authority in my opinion should be strengthened and made more powerful. Their monitoring wing has to be strengthened so that they can pay visits to see how the State Electricity Boards are functioning, and if there are any defects in their functioning they can suggest some methods for improvement.

And, lastly, my suggestion is that apart from these Electricity Boards the performance in the power sector is disheartening and is causing anxiety. If we are committed to take the country on the road to progress, you have to improve your performance in the power sector, to be able to fight poverty. Then alone we can improve the lot of the living poor in this country. In America each individual consumes far more power than an Indian does. That explains how America has, through the use of electricity, increased its agricultural production and that un-organised sector has become so organised today that it is feeding other countries also. Indian peasants or agriculturists are suffering from want of electricity. I would submit to the Minister that he should not be content only with this amendment, which, I think, is a feeble attempt to improve the functioning of the State Electricity Boards. Rather, as Mr. Arakal has suggested, electricity is in the Concurrent List and Government has power to intervene in this matter, Government should go ahead with their proposals for establishing regional electricity generation corporations and regional electricity authorities and oversee the functioning of the State Electricity Boards effectively in order to improve generation and distribution of electricity.

With these words, I support this attempt even though feeble, made by the Minister to improve the working of the State Electricity Boards.

श्री राम प्यारे पनिका (रावर्टसगंज) : सभापति महोदय, मैं विद्युत प्रदाय (संशोधन) विधेयक, 1983 का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। कल जब विचार के लिये इसे हमारे

मंत्री महोदय प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने स्वयं देश में बिजली के उत्पादन की व्यवस्था पर गहरी चिन्ता व्यक्त की। यह बात निश्चित है कि देश की तरक्की के लिये बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी होना आवश्यक है।

पिछले तीन वर्षों से बिजली के उत्पादन के लिये सरकार द्वारा काफी प्रयास किये जा रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि उत्तरोत्तर हमारा उत्पादन बढ़ता जा रहा है। यह बात सही है कि पिछले वर्ष सूखा होने के कारण हाइडल के उत्पादन में काफी गिरावट आई है।

इस बिल के सम्बन्ध में अभी सत्येन्द्र बाबू ने काफी विस्तार से बताया। आज आवश्यकता इस बात की है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में आर्थिक सुधार लाया जाये और यह उसके लिये एक कदम है। इसलिये हम इसका स्वागत करते हैं।

हमारे इस सदन में कई बार माननीय सदस्यों ने देश के तमाम इलैक्ट्रिसिटी बोर्डों को व्हाइट एलीफैंट की संज्ञा दी है। हमें यह विचार करना चाहिये कि इन बोर्डों की आर्थिक हालत क्या है। जब तक हम इन बोर्डों का आर्थिक सुधार नहीं कर सकते तब तक उत्पादन की बढ़ोतरी बहुत सीमा तक नहीं जा सकती।

आज उत्तरप्रदेश इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में 100 करोड़ रुपये से ऊपर का घाटा है। यह ज्यादा बड़ा इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड है। इस घाटे के कारण यह है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड जो बिजली उत्पन्न करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में जैनरेशन कास्ट 40 पैसे प्रति यूनिट आती है। लेकिन जो बिजली सरकार सबसीडाइज्ड रेट पर कुछ सैक्टरों को—किसानों को और कुछ इंडस्ट्रीज को देती है, उससे होने वाली हानि को स्टेट गवर्नमेंट पूरा नहीं करती है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है कि सबसीडाइज्ड रेट पर बिजली देने से इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो घाटा होगा, स्टेट गवर्नमेंट को उसकी पूर्ति करनी चाहिए।

आम सिद्धांत यह है कि अगर अधिक उत्पादन होगा, तो चीजें सस्ती होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अधिक बिजली उत्पादन करता है, तो उसके घाटे का अनुपात भी बढ़ जाता है। इसका कारण यह है कि बिजली का उत्पादन करने से किसानों और कुछ सेक्टरों को सब्सिडाइज्ड रेट पर अधिक बिजली दी जाएगी, जिसका परिणाम यह होगा कि घाटे की मात्रा बढ़ जाएगी। चूंकि घाटे के बारे में देश भर में और सदन में शोर होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सोचता है कि अधिक उत्पादन करने से कोई लाभ नहीं होगा। मंत्री महोदय को इस बुनियादी सवाल पर विचार करना होगा।

इलेक्ट्रिसिटी बोर्डों के लिए यह आवश्यक है कि एक तरफ तो नई कैपेसिटी पैदा की जाए और दूसरे, जो कैपेसिटी है, उसको पूरी तरह यूटिलाइज किया जाए। इस समय देश का उत्पादन 49 प्रतिशत है, उत्तर प्रदेश में वह 38 से 40 प्रतिशत के बीच में है और बिहार में वह 25 से 30 प्रतिशत है। अन्य स्टेट्स में भी उत्पादन बहुत कम हो रहा है। है। इस लिए हमको दोतरफा प्रयास करना है : वर्तमान कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन और कैपेसिटी में वृद्धि। इसके लिए अधिक घन-राशि की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे समय पर प्लेयर पार्ट्स प्राप्त किए जा सकें, कोयले की कीमत दी जा सके और दूसरे देयों का भुगतान किया जा सके। इसके बिना उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा।

इसके अलावा कोयले की सप्लाय कान्टीन्युअस होनी चाहिए। आज कॉलिंग एटेंशन नोटिस में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया। पावर हाउस को कोयले में पत्थर सप्लाय नहीं करना है और न ही कोयले में ऐश कनटेन्ट ज्यादा होना चाहिए। मैंने देखा कि पिछले महीने रेणुसागर को सप्लाय किए जाने वाले कोयले का ऐश कनटेन्ट 45-46 परसेन्ट था।

इसका नतीजा यह है कि हमारी मशीनें खराब होती हैं। प्लांट बिगड़ते हैं। इसके अलावा 24 से 33 परसेन्ट कैलोरिक वैल्यू के कोयले की कीमत फिक्स की गई है, लेकिन 16, 17 या 18 परसेन्ट कैलोरिक वैल्यू का कोयला सप्लाय दिया जाता है। कोई कारण नहीं है कि कोल डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वह कीमत चार्ज करे, जो 24 से 23 परसेन्ट कैलोरिक वैल्यू वाले कोयले के लिए निर्धारित है। इससे प्राइवेट सेक्टर हो, ओवरा हो या रेणुसागर हो, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का घाटा बढ़ता है।

जहां तक मैनेजमेंट में सुधार का सम्बन्ध है, राजाध्याय कमेटी ने सुझाव दिया था, जिसके अनुसार इस बिल के द्वारा प्रयास किया गया है। लेकिन मंत्री महोदय को एक और काम प्रोहेसिव बिल लाना चाहिए। बिजली एक कान्फ्रन्ट सबजेक्ट है। जब बिजली के उत्पादन के लिए घनराशि की व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो कोई कारण नहीं है कि उसको कंट्रोल करने की ताकत उसके पास न हो।

सभापति महोदय : अब आप खत्म करें।

श्री राम प्यारे पनिका : मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की दो-तिहाई बिजली का उत्पादन मेरी कांस्टीट्यूएन्सी में होता है। सेंट्रल सेक्टर के तीन सुपर-थर्मल पावर स्टेशन हमारे यहाँ हैं।

मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार ने एन टी पी सी की स्थापना की है। उसने बड़ा अच्छा काम किया है। सिंगरौली के सुपर-थर्मल पावर हाउस, विजयवाड़ा और बदरपुर में काफी सुधार हुआ है और एक सिस्टम ईवाल्स किया गया है। दूसरे देशों के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स में जो सिस्टम है उसको आप यहां पर भी क्यों नहीं लागू करते हैं? सत्येन्द्र बाबू ने ठीक ही कहा है कि आपने सरप्लस एम्पलाईज रख लिए हैं जिनको रेट्रैच करना भी मुश्किल है। जिनकी आपने जमीनें ली हैं उनको तो एम्प्लाय करना जरूरी

हैं लेकिन उनके अलावा आप यह निश्चित कर लें कि अमुक समय तक जब तक कि सरप्लस स्टाफ कम नहीं हो जायेगा तब तक कोई भी नयी भर्ती नहीं की जायेगी। सस्ती लोकप्रियता के पीछे हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं? जबतक इस देश में बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तबतक न तो कृषि बढ़ेगी, न उद्योग-धंधे बढ़ेंगे और न ही काटेज इण्डस्ट्रीज का विकास सम्भव है। हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने बिजली उत्पादन को उचित महत्व देकर ही बीससूत्री कार्यक्रम में इसको शामिल किया और कहा कि बिजली बोर्डों में आर्थिक सुधार होना चाहिए। यह सुधार तभी सम्भव है जब जिस कास्ट पर आप बिजली पैदा करते हैं उसी पर आप उसको बेचें।

इसके अलावा वहां पर समय से स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध नहीं होते हैं। मेल तथा सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी एथारिटी के प्रयास से इस सम्बन्ध में काफी सुधार आया है और अब स्टोर्स में काफी स्पेयर पार्ट मौजूद हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। मन्त्री जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों में करोड़ों रुपए का बकाया है। दिल्ली में ही 50 करोड़ से ऊपर का बकाया है। इस तरह से आप एन टी पी सी का भट्ठा नहीं बिठा सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के लिए कोई न कोई साधन बनाने होंगे जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सके।

आज विभिन्न राज्यों में इम्बेसेलेंज भी क्रिएट हो रहे हैं। आप देखें कि आज हरियाणा में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन शत प्रति है लेकिन उत्तर प्रदेश में केवल 35 परसेन्ट ही है। इस प्रकार की जो क्षेत्रीय असमानता पैदा हो गई है उसको दूर करने के लिए भी आपको कदम उठाने होंगे। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आज जो पैसा कारपोरेशन देता है उसके सम्बन्ध में उसे यह भी देखना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड

उसका समुचित उपयोग कर रहे हैं या नहीं। मेरी तो यह निश्चित सूचना है कि जो भी पैसा दिया जाता है उसको दूसरे कामों में लगा दिया जाता है इसलिए इस बात की निश्चित व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का पैसा उसी कार्य पर खर्च किया जाए।

हमारे यहां उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अलावा एक उत्पादन कम्पनी भी बना दी गई है जिससे कि वहां पर सारे इंजीनियर्स में बड़ा असंतोष व्याप्त है। उसका कारण यह है कि वहां एक दूसरा कांडर बन गया है और प्रमोशन को लेकर उनमें असंतोष है। इसलिए वहां पर उस उत्पादन कम्पनी को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि पैसा देने से पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की एफिशिएन्सी को भी देखा जाना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि जो पैसा दिया जाता है उस पैसे का वे क्या उपयोग कर रहे हैं। कुछ ऐसी बातें करनी होंगी जिनसे कि बिजली बोर्डों के काम में सुधार लाया जा सके और उनके विकास में कोई रुकावट न आने पाए। मैनेजमेंट की हालत यह है कि बोर्ड तो कुछ और कहना है कि यहां पर मिनिस्टर जो कहते हैं या गवर्नमेंट जो डायरेक्शन देती है वह उसके विपरीत होता है।

नेशनल ग्रिड की जो बात है वह स्वागतयोग्य है। रीजनल इम्पैल्लेसेज को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए, इसके लिए जरूरी है कि नेशनल ग्रिड की स्थापना हो। आप सुपर थर्मल पावर स्टेशन की सारी बिजली दूसरी स्टेंट को दे दें, सिंगरीली की सारी बिजली आप राजस्थान और बिहार को दें लेकिन जहां पर स्टेशन बनते हैं वहां पर लोगों की जमीन वगैरह ली जाती है इसलिए इस सम्बन्ध में कोई पालिसी निर्धारित की जानी चाहिये। प्रधान मंत्री जी ने उचित ही कहा है कि जमीन का मुआवजा देने में बहुत देरी हो रही है जैसे शक्तिनगर

17.15 Hrs.

की आपने 8 साल पहले शुरुआत की और चार हजार प्रति एकड़ का मुआविजा तय किया तो चार साल बीत जाने के बाद आप देखेंगे कि कितना प्राइस एस्कलेशन हो गया है। इसलिए यह जरूरी है कि किसानों के हित के लिए आप उनको जल्दी से जल्दी मुआविजा दें और उनको रिहैबिलिटेड करें तथा काम दें। अभी मन्त्री जी कह रहे थे कि समय से जमीन नहीं मिलती है। जमीन

(MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair)

का मुआवजा लोगों को नहीं मिल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि बिजली की समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक काम्प्रिहेंसिव बिल लाइए और यह बात मुख्य रूप से रखिए कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 40 प्रतिशत से कम का उत्पादन नहीं करेगा। जब आप उत्तर प्रदेश गए थे, तब आपने कहा था कि यह बहुत ही खतरनाक बात है लाइन लासेस होते हैं। 22 प्रतिशत से ज्यादा लाइन लासेस होते हैं। इस प्रकार कसे देश चलेगा। आप ऐसी व्यवस्था करिए कि देश में बिजली का उत्पादन 60 प्रतिशत से कम नहीं होगा। इस साल आपने 51 प्रतिशत का लक्ष्य रखा है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको 60 प्रतिशत तक ले जायें, ताकि दस प्रतिशत की वृद्धि होने से बिजली का जो संकट है, वह निश्चित तौर से मांग को पूरा करने में सहायक होगा। बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोयले का प्रबन्ध करें, पैसे की व्यवस्था करें और बिजली बोर्डों में जो अनुशासनहीनता फैल गई है, उसको दूर करने का प्रयास करें। आश्चर्य की बात है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन एक लाइन मैन का ट्रांसफर नहीं कर सकता है। यदि उसका ट्रांसफर कर दिया जाए तो बिजली की सप्लाई ठप्प हो जाती है। इसलिये विरोधी दलों को भी यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए जो हड़ताल कराते हैं, बन्द का आह्वान देते

हैं, उसको बन्द करें। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा, मैं आपके साथ साउथ कोरिया गया था। वहाँ हम लोग जिस बिजली घर को देखने के लिए गये थे, यह आश्चर्य की बात है कि हम वी आई पीज के वहाँ मौजूद होते हुए भी किसी भी वहाँ के मजदूर ने हमारी तरफ नहीं देखा। मैं आपको उत्तर प्रदेश की बात बताता हूँ, जब वहाँ श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह बिजली घर को देखने के लिए गए तो वहाँ के पांच हजार मजदूरों ने उनको लिफ्ट में चढ़ने नहीं दिया और सारा काम घन्घा छोड़ कर आ गए। लेकिन वहाँ एक भी आदमी अपने काम से नहीं हटा। जबकि वहाँ हमारे साथ मिनिस्टर चेयरमैन और वहाँ के वी आई पीज भी थे। उन लोगों ने यह भी सोचा कि हम लोग हिन्दुस्तान से आए हैं। वहाँ के डिप्लोमीन को देखकर आश्चर्य होता है कि वहाँ के लोग 16 घण्टे काम करते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि देश के निर्माण के लिए, बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए, हमें सस्ती लोकप्रियता का सहारा नहीं लेना चाहिए। जब यूनियनों द्वारा मांग की जाती है कि हमारी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए, तो उनको मजबूर किया जाना चाहिए कि उन को इतने घण्टे काम करना पड़ेगा... (व्यवधान)...

उपाध्यक्ष महोदय : एड्रेस दि चेयर।... (व्यवधान)...

श्री राम प्यारे पनिका : मैं बताना चाहता हूँ कि देश में सबसे बड़ी समस्या अनुशासन बनाए रखने की है। बिजली बोर्ड में तीन सेक्टर है। एक वर्ग हमारे अधिकारियों का है, सुपरवाइजरी स्टाफ है, दूसरा कर्मचारियों का है और तीसरा वर्कर्स का है। जब तक इन सब में सामंजस्य नहीं होगा, तब तक कोई भी काम कर पाना संभव नहीं है। एन टी पी सी का उदाहरण हमारे सामने हैं, उनकी रोज की समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। इसमें आपने जो ग्रेड रखे हैं, कर्मचारियों और दूसरे

अधिकारियों के, इसको आप सब राज्यों में भेज दीजिए कि सब जगह यही वेतनमान देना चाहिये। होता क्या है कि सस्ती लोकप्रियता के कारण कर्मचारी हड़ताल करता है और जिसकी वजह से बिजली के उत्पादन में बहुत हद तक बाधा उत्पन्न हो रही है। यह मेरी अपील है क्योंकि इसका मुझे अनुभव है। हमारे उत्तर प्रदेश में दो-तिहाई बिजली पैदा होती है और वहां पर बड़ी अनुशासनहीनता है और सी०पी०आई० और सी०पी०एम के लोग इसे करा रहे हैं। आज बंगाल में क्या हो रहा है। बंगाल का जो इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड है,

that is going to be ruined due to this attitude and the generation is lowering day by day. The industries are going to be starved of power in West Bengal.

मैं हाऊस से निवेदन करना चाहता हूं कि जहाँ और कारण उत्पादन की कमी के हो सकते हैं, वहाँ सब से महत्वपूर्ण कारण यह है कि चीफ पापुलेरिटी के कारण, जो देश का अपोजिशन है, वह सस्ती लोकप्रियता के लिए मजदूरों से यह करा रहा है। वे अनावश्यक माँगें लेकर हड़ताल करते हैं। अगर रूस में कोई हड़ताल का नाम ले, तो उसको गोली मार दी जाएगी और अगर चीन में कोई हड़ताल का नाम ले, तो वहाँ भी ऐसा ही होगा लेकिन यहाँ हमारे अनुशासनहीनता फैल रही है।

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Why do you show your finger to Shri Ramavatar Shastriji ? You address to the Chair.

श्री राम प्यारे पनिका : हम आप के नेतृत्व में वहाँ जा कर बड़े प्रभावित हुए हैं और हम ने वहाँ पर यह देखा है कि एक डेवलपिंग कन्ट्री कितनी तरक्की कर रहा है। हम लोगों की आडियोलॉजी में फर्क हो सकता है लेकिन जहाँ तक डेवलपिंग का सवाल है, उसमें सबका सहयोग होना आवश्यक है। वह डेवलपिंग कन्ट्री 10 साल के अन्दर कितना हरा-भरा हो गया

और वहाँ पर बिजली की उत्पादन क्षमता 120 परसेन्ट है और आपने भी अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पर पावर हाऊसेज, जो आज से कुछ वर्ष पहले ही लगे हैं, वे कितना उत्पादन कर रहे हैं। मैं शास्त्री जी से कहना चाहता हूँ और आप के द्वारा हाऊस से अपील करना चाहता हूँ कि मजदूर प्रतिज्ञा करें और एक संकल्प लें कि कम से कम 10 वर्ष तक वे कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे। जो भी आपस के झगड़े हों, वे आपस में बैठ कर तय हो जाएं ताकि देश का कृषि उत्पादन बढ़े, देश का बिजली का उत्पादन बढ़े और देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़े और हमारी प्रधान मंत्री जी ने जो 50 प्रतिशत लोगों को छठी पंचवर्षीय योजना में पावर्टी लाइन से ऊपर उठाने की बात कही है, वह पूरी हो सके।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ और यह आशा रखता हूँ कि मंत्री जी एक दूसरा बिल लायेंगे और कई सप्ताहों से जो मैं एक लड़ाई लड़ रहा था, उसके कारण यह बिल आया है।... (व्यवधान)... मैं उत्तर प्रदेश का इनटक का उपाध्यक्ष रहा हूँ और मैं मजदूरों की बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन जुबानी नहीं बल्कि उनके लिए काम करता हूँ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : ये दिन-रात मजदूरों के खिलाफ बोलते हैं।

श्री राम प्यारे पनिका : आपने 19 जनवरी को स्ट्राइक का काल दिया था। मैंने अपने क्षेत्र में स्ट्राइक नहीं होने दी।

श्री रामावतार शास्त्री : कम्पलीट स्ट्राइक हुआ था।

उपाध्यक्ष महोदय : नाऊ यू फिनिश योर स्पीच।

श्री राम प्यारे पनिका : इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Shri Panikaji, you ask the workers not to go on strike. Shri Ramavatar Shastri ask the workers to go on strike. But it is the responsibility of the workers to go on strike or not to go on strike. They do not go on strike just because a particular person wants them to go on strike. Similarly, just because a particular person asks them not to go on strike, they will not refrain from going on strike. Depending on the problems, they go on strike. Therefore, don't worry. Workers are very careful.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Why are you changing yourself that they are not going on strike on the advice of any leader ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: The workers do not go on strike on the advice of any leader but they go on strike on their own problem.

SHRI RAMAVATAR SHASTRI : Now you are correct.

MR. DEPUTY-SPEAKER : That is what I have told. You did not follow it.

17.24 Hrs.

SHRI K.A. RAJAN (Trichur) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, this House is discussing the very important question of power crisis especially in this year of 1983 and this House also had various occasions to highlight as to what is the state of affairs we are facing in the power sector.

Of course, through this piece of legislation, it is not expected to discuss all these problems and policies regarding the power generation.

This piece of legislation has been brought forward with mainly three purposes. One is the generation of surplus by the respective State Electricity Board ; the second is to have some sort of uniformity in the accounting system and the third is the re-arrangement of priorities for distribution of revenues of the Boards. In the Statement of Objects and Reasons, it has been stated :

“Though section 59 of the Act, as amended in 1978, casts an obligation on the State Governments to specify the

surplus to be earned by the State Electricity Boards, no State Government has so far specified the quantum of such surplus.”

I would like to know from the hon. Minister why not a single State Electricity Board could comply with the provision or the directive, whatever it is, to specify the quantum of such surplus.

Why I am surprised is how they can have a surplus. Of course, the creation of surplus depends upon various factors. It depends on the very functioning of the Electricity Boards. Most of the Boards are running at a loss, certain Boards are running at huge losses. It has been brought before the House umpteen times that the functioning of the Boards is in a very bad state because of various reasons. When these issues regarding the functioning of the Boards and the losses suffered by the Boards were discussed, various proposals were just coming from various sides, such as, why not the State Electricity Boards which are being run by the State Governments be taken over by the Centre ? There were certain proposals in the Government circles also. There was another proposal given by the private monopolists. They were also making certain statements because of the functioning of State Electricity Boards in a bad way. They suggested as to why not hand over the Boards to private monopolists. That was also in the air. According to the 1956 resolution, as stated by the hon. Minister and also in the interest of the country, it cannot be done like that. This major power sector can never be handed over to the private sector.

The remedy regarding the functioning of the State Electricity Boards really lies elsewhere. The low capacity utilisation of the various Boards is quite well known. There is very much low capacity utilisation as compared to other countries. Then, there are also huge transmission and distribution losses as compared to international standards. It comes to about 20 per cent. Also, in the very functioning of the Boards, there is erosion in the autonomy of the functioning of the Boards. The Boards are not functioning as envisaged under the Act. Their autonomy is being taken away. It is

being run as a departmental undertaking. Political favouritism is being shown in the constitution of Boards. The Boards are not allowed to function independently. Again, apart from the losses in generation and transmission of power, there is the problem of pilferage. Specially in Bihar, so many stories are being heard that this is being done by industrialists who are not accountable to the Electricity Boards.

The unfortunate situation is that the industrial relations in the Boards are also in a very bad shape. During the last two to three years, in the functioning of various Boards in various States, there is not a single State where there have been not two or three strikes at least in a year. These are the things which could have been avoided provided there would have been a proper industrial relations machinery, provided there would have been a Bill to implement certain things which had been agreed upon.

These State Electricity Boards are run by engineers as well as technicians and unless there is adequate cooperation between the engineers and workers who handle the machine, this cannot be done. Unfortunately, most of the State Governments do not realise the conditions detrimental to the larger interests of these Boards.

There are two Committees which have submitted their reports regarding this power sector. One in Venkataraman Committee report. The latest report is that of Rajadhyaksha Committee which was given in 1980. The Rajadhyaksha Committee has gone exhaustively into the functioning of the Electricity Boards. All matters have been dealt with in that report exhaustively and they have made certain suggestions regarding the functioning of the Boards, how it can be streamlined and how the Boards can be run and managed efficiently. They have also given suggestions regarding the autonomy of the Boards and also about the capacity utilisation, the transmission and distribution system and all those points which have been dealt with and they have made some very good suggestions. Of course, we do not agree with all the suggestions. But there are certain suggestions which very well improve the whole system. I cannot understand the attitude of the Government regarding the Rajadhyaksha

Committee. I do not know whether the report of this Committee has been discussed with the various State Governments and their attitude towards it taken into account and whether their stand regarding the report is ascertained. Instead of bringing in such a piecemeal legislation on this matter, especially in a matter like the power sector, you should have brought a comprehensive legislation. You must see that the whole power sector is set right in a proper way. It will then improve.

The Hon. Minister, while moving this Bill, was stating that there is one provision which has been laid down in this amendment regarding this surplus as well as regarding the uniformity in accounting and also regarding the priority in the revenue. The Hon. Minister has taken up this point because we are taking loans from the World Bank. Everyone knows about it and it is not a secret. The World Bank stipulates certain terms. They will say that certain things have to be done in a certain way. So, these stipulations are going to be implemented. That is why these amendments have been brought in here. How can this surplus be created, as it is, in the present situation? In the present situation of the functioning of the various Boards—especially in two or three States like Jammu & Kashmir and in Goa, there is no Board and it is being run departmentally—in the other States it is being run by State Electricity Boards—how will they generate 3% surplus? Unless you have a thorough overhaul of the whole system and unless certain recommendations made by the Rajadhyaksha Committee and certain of the suggestions which have been offered at various other forums are implemented, it is not possible for the State Electricity Boards to create surplus whatever may be the instructions and the directions you give and ultimately my anxiety is that the poor consumer and the other people are going to suffer. This 3% surplus can be generated under the present conditions—that it is the gain behind this Bill—only by increasing the tariff. Ultimately what is going to happen in the present conditions, in the present to set up of Electricity Boards? How are they functioning? It is going to be a burden on the common people if the tariff is increased. But that is the only way! That is why, I say that there lies a connection with the

World Bank. That is the only way in which we can just create this surplus of 3% of these Electricity Boards. Otherwise, how can they function at all in the circumstances ?

Now the Hon. Minister, while moving the Bill said that we should see that the State Electricity Boards are run commercially and that there should be commercial accounting. I am not against it. I am of the opinion that the Electricity Boards are always run on a loss basis.

But commercial purpose is not the only purpose of this infrastructure. The service of the State Electricity Boards is also poor. Certain Boards are incurring losses because of the rural electrification. On rural electrification, even with subsidy and all other things, the Boards are incurring losses, I can cite umpteen instances where the various Boards have had to suffer heavy losses because of rural electrification.

For most of the power generation in the country, we depend on thermal ; then comes hydel ; then comes nuclear power, a very significant percentage. Regarding thermal power stations, there are various factors which control the efficiency of the power stations : availability of coal, the ash content of coal, availability of wagons ; all these problems affect the running of thermal power stations.

Even in States which depend on hydel power generation, what is the position ? In my State generation is being done by hydel ; there is no thermal station. There the monsoon has created problems for us. Upto 1982 we were surplus in power and we were supplying electricity to Tamil Nadu and Karnataka. But unfortunately this year, in 1983, because of the vagaries of monsoon, we are facing a serious power crisis and we have to face serious economic problems also. Here I would like to draw the attention of the Minister to one aspect. Unfortunately this situation in Kerala has been brought about by bad water management. Water management in that particular hydel station ought to have been done with better imagination. This ought not to have happened in Kerala : they sold energy to Karnataka and Tamil Nadu without taking the water level into account and acting against the very principles of water management. There is a

stipulation that the water level should be such and such and that, no electricity should be generated. But Kerala is facing the problem because this aspect of water management was not dealt with properly by the State Electricity Boards ; otherwise, Kerala would not be suffering like this, there would not have been such a crisis as there is today.

What I would like to impress upon the hon. Minister is this. We have to think in terms of streamlining the power sector in the country. If you want that the shortcomings which we are facing every year, losing a lot of production and also creating a havoc for our economy, are to be removed, there should be a comprehensive legislation to see that the Electricity Boards are run properly. We have also to see how far the Central Authority can act on these things. What is the position of the national grid ? Will it be complementary or contradictory to the State Electricity Boards. No State Government would like the rights of their State Electricity Board to be infringed. So you cannot have such controls. But we can build up a system where these things will be complementary to each other, so that the nation will not suffer for lack of coordination or efficiency in the management.

I do not think that anything will come out of this piece of legislation as it is. You cannot expect the Electricity Boards to create, with a magic wand, a three per cent surplus under the present conditions. The only thing which is going to happen—and that is my anxiety—is that they are going to increase the tariff rates and it is going to be a burden on the common people...

SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH :
Not at least in Kerala.

SHRI K.A. RAJAN : Instead of going in for such ad hocism, there should be a comprehensive legislation. So many years and rupees have been spent in preparing comprehensive reports on power sector. We have got the report of the Rajadhyaksha Committee. On that Report, still the Government has not taken any decision. We do not know whether there is agreement on various points between the State Government and the Central Government and if there are disagreements what are the disagreements and how far you will be able to come to reconci-

liation on those disagreements. Have a comprehensive legislation instead of this piecemeal legislation. This type of piecemeal legislation is not going to do any good to the power sector or to the country. My anxiety is that it is only going to create another problem because the State Governments are going to create the three per cent surplus only by increasing the tariff rates.

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विद्युत मंत्री ने जो विद्युत (प्रदाय) संशोधन विधेयक सदन में प्रस्तुत किया है, मैं उसका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। यह सत्य है कि विद्युत प्रदायों में सुधार की आवश्यकता है और मंत्री महोदय ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, वह आंशिक रूप में उसकी पूर्ति करता है। श्री आर वेंकटरामन ने, जो 1964 में इलैक्ट्रिसिटी कमेटी के कनवीनर थे, बहुत सी सिफारिशें कीं। उनमें एक सिफारिश यह भी थी कि बिजली बोर्ड को आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर होना चाहिए, उसकी आर्थिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए कर्ज और उसके ब्याज को चुकाने के लिए—और रिजर्व फंड के सम्बन्ध में प्रावधान किया जाना चाहिए।

ऐसे बहुत से बिजली बोर्ड हैं, जो एकाउन्ट्स और बिजली का हिसाब रखने के उत्तरदायित्व को पूरा नहीं करते हैं और इस लिए आलोचना के विषय हैं। आपको जानकर बड़ा खेद होगा कि बिहार के बिजली बोर्ड के बारे में कहा जाता है कि वहां पर कितनी बिजली पैदा की जाती है, कितना फूलक्युएशन होता है, कितना ट्रिपिंग होता है, कितनी बिजली की चोरी होती है, कितनी कनज्यूमर लेते हैं, इसका पूरा ब्योरा नहीं रखा जाता है। राजस्थान बिजली बोर्ड के केवल ट्रांसमिशन लासिज 35 से 40 परसेन्ट हैं। आप अन्दाज लगा सकते हैं कि ऐसे बिजली बोर्ड की आर्थिक स्थिति क्या हो सकती है, वह कैसे आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर हो सकता है और किस तरह अपने राज्य का आर्थिक, औद्योगिक

और कृषि की दृष्टि से विकास कर सकता है।

वेंकटरामन कमेटी ने सब से पहले इस बात पर जोर दिया था :—

“The immediate objective of the State Electricity Board should be to achieve self-sufficiency. Revenues should be earned to cover the operation and maintenance charges, contributions to depreciation and general reserves and interest charges on loans.”

आपको जान कर ताज्जुब होगा कि शायद ही ऐसा कोई बिजली बोर्ड होगा, जिसने लोन या उसके ब्याज का भुगतान किया हो। आज 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया केवल देश के बिजली बोर्डों की तरफ है। हम अपने पब्लिक सैक्टर से उम्मीद करते हैं कि उसे काम-शंसल अंडरटेकिंग की तरह चलना चाहिए और उसी तरह व्यवहार और काम करना चाहिए। आज पब्लिक सैक्टर का इतना बड़ा खर्चा पब्लिक एक्सचेकर पर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग और इलैक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग कई हजार करोड़ रुपये का नुकसान राष्ट्र के खजाने को पहुंचा रहे हैं। इस लिए इस बारे में देश के प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक संसद सदस्य का चिन्तित होना स्वाभाविक ही है।

हमने छठी पंच-वर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन का 20,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा है, लेकिन मंत्री महोदय जानते हैं कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अभी हम बहुत पीछे हैं। उसके बहुत से कारण हैं। इसका एक कारण तो कास्ट एस्केलेशन है। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि हम जिन इन्टर-स्टेट प्राजेक्ट्स पर इतना रुपया लगा रहे हैं या लगा चुके हैं, उनकी क्या स्थिति है। क्यों पीछे रहे हैं? जिस अवधि में उन योजनाओं को पूरा होना था उसमें वह क्यों नहीं पूरी हुई? राजस्थान में कोटा थर्मल प्लान्ट की पहली इकाई को कार्मशियल पर्पजेज के लिए जेनरेशन करने को

शुरू किया गया लेकिन उसमें पहले एक बार डिफाल्ट हुई और दूसरी बार फिर डिफाल्ट हो गई। क्या कारण है कि पब्लिक अण्डरटेकिंग में जहां पूरा पैसा लगाया गया है और इंजीनियर्स ने अपनी पूरी क्षमता से काम किया है वहां पर जेनरेशन की जो क्षमता होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही है? क्यों डिफाल्ट होते हैं? क्या इसकी खोजबीन करने के लिए आप कोई ऐसी कमेटी बिठायेंगे जिसमें सारी एक्सपर्टाइज मौजूद हो? मैं पिछले तीन सालों से मांग कर रहा हूं कि वास्तव में यदि आप देश का सन्तुलित विकास करना चाहते हैं तो जब तक आप नेशनल लेबिल पर पावरग्रिड कायम नहीं करेंगे तब तक प्रत्येक प्रदेश का बैलेंस्ड तरीके से विकास सम्भव नहीं है। आज बहुत से प्रान्त ऐसे हैं जो बिजली उत्पादन में सेल्फसफीशिएन्ट हैं, बहुत से प्रदेशों का बिजली उत्पादन अच्छा है लेकिन बहुत से ऐसे पिछड़े हुए प्रदेश भी हैं जो बहुत प्रयत्न करने के बावजूद उस स्तर तक नहीं पहुंच सके हैं जिस स्तर पर आज तमिलनाडु या महाराष्ट्र पहुंचे हैं। इस देश में खास तौर से एक समस्या यह भी है कि जितनी अन्तर्राज्यीय विद्युत योजनाएँ हैं जिनमें दूसरे राज्यों का भी हिस्सा है वह जिस राज्य में स्थापित हैं वह राज्य दूसरे राज्यों को उनका हिस्सा नहीं देता है। मैं विशेष रूप से राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं कि जो विद्युत उत्पादन केन्द्र दूसरी स्टेट्स में हैं जैसे कि चम्बल मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में है और सिंगरौली मध्यप्रदेश और यूपी के बार्डर पर है, भाखड़ा-नंगल पंजाब में है, वह राज्य हमारे प्रदेश का जो बिजली का हिस्सा है उसको देने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं। व्यास प्रोजेक्ट में जो हमारा हिस्सा है वह हमको नहीं मिलता है। सतपुड़ा से कभी बिजली मिलती ही नहीं है। चम्बल से भी पूरी बिजली नहीं मिलती है। इसलिए जब तक आप

नेशनल ग्रिड नहीं बनायेंगे और इन्टर-स्टेट प्रोजेक्ट्स जो हैं—हाइडल या थर्मल पावर के—उनके लिए अलग कंट्रोलिंग एथारिटी कायम नहीं करेंगे तब तक सही तरीके से जेनरेशन होने के बाद भी बिजली का वितरण सही तरीके से नहीं हो सकेगा। श्री अब्दुल गनी खां चौधरी ने राज्यसभा और यहां पर भी आश्वासन दिया था कि राष्ट्रीय स्तर पर पावर ग्रिड बनाने के लिए गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। मैं समझता हूं आपको भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए क्योंकि जब तक आप ऐसा कदम नहीं उठायेंगे तब तक बहुत से विवाद, खास तौर से जो अन्तर्राज्यीय योजनाओं के सम्बन्ध में हैं, उनको आप हल नहीं कर सकेंगे। और जब तक आप इन विवादों को हल नहीं कर सकेंगे तब तक स्टेट्स में जो विद्युत का अभाव है उसको आप दूर नहीं कर सकेंगे।

सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी एथारिटी जो है और जो रीजनल इलेक्ट्रिसिटी एथारिटीज हैं उनकी कार्यप्रणाली में भी आपको समुचित सुधार करना चाहिए। आज सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी एथारिटी के पास समुचित पावर्स नहीं हैं। यदि अन्तर्राज्यीय योजना के सम्बन्ध में किन्हीं दो राज्यों में विवाद उत्पन्न हो जाए तो सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी एथारिटी के पास सिवाय पर्सुएशन के और कोई दूसरा कदम उठाने का अधिकार नहीं है। इसलिए आप इस सदन में कोई ऐसे नियम या विधेयक लायें जिसके द्वारा उसको पूरा अधिकार दिया जा सके। जब तक आप उसको पावर नहीं देंगे तब तक अपने ढंग से वह इन योजनाओं पर सही तरीके पर कंट्रोल नहीं कर सकती है। इसलिए आप सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी एथारिटी को आप अधिक से अधिक शक्ति दें, आर्थिक तथा मैनेजमेंट सम्बन्धी शक्ति प्रदान करें।

इसके अलावा जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अधूरे हैं जैसे कि मेरे से पहले राजस्थान के श्री बृद्धि चन्द्र जैन ने बताया कि ग्रीलानी लिग-

नाइट के सम्बन्ध में प्लानिंग कमिशन के सामने रिपोर्ट गई थी, उसकी ओर से ध्यान दें। इसका ठेका वैस्ट जर्मनी के एक फर्म टकरेप वर्लिन, जीडीआर, को 16 लाख 10 हजार 4 सौ रुपए का दिया गया है। यह ठेका 23.4.81 को दिया गया है। इस सम्बन्ध में कोई विशेष रूप से काम नहीं किया गया है। आज राजस्थान को बिजली की बड़ी आवश्यकता है। हमको 220 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है और केवल 90 से 99 मेगावाट वहां बिजली प्राप्त है। इन्टर नेशनल लैवल पर भी और नेशनल लैवल पर एक्सपर्ट की राय है कि जहां पर एटॉमिक पावर प्लान्ट लगाया गया है उसी जगह पर दूसरा भी एटॉमिक पावर प्लान्ट लगाना चाहिए। राजस्थान के एटॉमिक पावर प्लान्ट का पहला यूनिट पिछले तीन साल से लगातार बन्द है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। इसके लिए लगातार तीन साल से मांग की जा रही है कि इस को दुरुस्त किया जाए, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। यह दो सौ मेगावाट का पहला यूनिट एक यूनिट भी जनरेट नहीं कर रहा है, जबकि यह लिखा जाता है कि पहला यूनिट दो सौ मेगावाट का है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप उस यूनिट के बारे में गम्भीरता से सोचिए। इसका विकल्प यह है कि जिस प्रकार का प्लान्ट अभी तमिलनाडु में लगाया गया है, उसी प्रकार का प्लान्ट राजस्थान में रावतभाटा में लगाना चाहिए। तमिलनाडु के प्लान्ट का अभी प्रधान मंत्री द्वारा 22 जुलाई को उद्घाटन किया गया है। जो कि बखूबी चल रहा है। जब तक प्लान्ट इंडिजिनस टेक्नॉलाजी पर बेस नहीं होंगे तब तक राजस्थान कभी भी बिजली के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि पिछले तीन सालों में वहां पर सौ प्रतिशत पावर उद्योगों में कट हो रही है। एग्रीकल्चर सैक्टर में भी आप किसानों से 1500 रु० सालाना लेते हैं, लेकिन बिजली नहीं बेते हैं।

इस प्रकार आपको मिनीमम चार्जेंज लेने का कोई हक नहीं है। इसके बावजूद भी आप मिनीमम चार्जेंज लेते हैं। पावर सप्लाई न होने की वजह से फसल का नुकसान होता है। उसका उत्पादन गिरता है। इसके बावजूद भी बिजली बोर्ड उनसे मिनीमम चार्जेंज वसूल करता है। यदि इस संबंध में कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाए तो इस का उनके पास कोई जवाब नहीं है। आज कल राजस्थान में किसानों को चार घण्टे से ज्यादा बिजली बारह महीने नहीं मिल रही है। इससे आप उसकी दयनीय स्थिति का अन्दाजा लगा सकते हैं।

मैं आपको अपने अलवर क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे उद्योग मंत्री जी ने वहां के उद्योगों को देखा है। स्माल सैक्टर में वहां के नौजवान लड़कों ने उद्योग लगाए हैं, जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है, बिजली न मिलने की वजह से उनको किसी प्रकार की आमदनी नहीं हो रही है और ब्याज अपनी रफ्तार से चल रहा है। राजस्थान जैसे पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन बिजली न मिलने के कारण स्थिति यह है कि सभी लोग वहां से जाना चाहते हैं। चाहे कोटा हो, चाहे जोधपुर हो या अलवर हो, सभी जगहों से लोग उन जगहों पर जाना चाहते हैं, जहां पर कि बिजली की हालत अच्छी है। दिल्ली में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, वैस्ट बंगाल में जहां पर कि स्थिति अच्छी है, वहां पर जाना चाहते हैं। इसलिए आप को कुछ ऐसी स्टेट्स के लिए, जो बैकवर्ड स्टेट्स हैं, खास तौर पर गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता पड़ेगी।

इसके साथ ही साथ आप ने कैप्टिव प्लान्ट लगाने की, पावर प्लान्ट लगाने की बात कही थी लेकिन अभी तक उस दिशा में विशेष रूप से कोई प्रगति नहीं हुई है। आप ने उद्योगधंधों के लिए उनकी लोगों की जीनरेटिंग सेट लगाने की छूट दे रखी है लेकिन

जेनरेटिंग सेट के लिए आप केवल एक उद्योग-पति को छूट देंगे। आप दोबारा इस पर विचार कीजिए। मैं आपको यह सुझाव देता हूँ कि यदि एक उद्योगपति की क्षमता इसको लगाने की नहीं है, तो 5 या 10, 15 उद्योग-पति मिल कर सामूहिक तरीके से, एक कलेक्टिव तरीके से इसको लगाना चाहते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं इसके लिए इजाजत दे सकते। इसमें कौन-सी दिक्कत आपको है। उनके पास आप अगर सरप्लस बिजली है, तो एक उद्योगपति अपने एलाइड उद्योग को, अपने सिस्टर उद्योग को उसी प्लान्ट से बिजली क्यों नहीं दे सकता। इसलिए मेरा कहना यह है कि आवश्यकता के अनुरूप आप का यह जो बिजली सप्लाई का एक्ट है, इसमें संशोधन करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

मैं अंत में माननीय मंत्री जी के प्रयासों की प्रशंसा करता हूँ, भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूँ लेकिन उनसे यह भी आशा रखता हूँ क्योंकि वे एक बड़े अनुभवी मंत्री हैं और उन्होंने देहाती क्षेत्रों को भी देखा है कि उनकी क्या हालत है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए राजाध्यक्ष कमेटी जो बनी थी, उसने अपनी रिपोर्ट में इस बात को कहा है कि जहाँ तक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को फैलाने की बात है, ग्रामीण विद्युतीकरण के विस्तार करने की योजना है, उस योजना में इस बात को नहीं देखना चाहिए कि उस पर कितना खर्च हो रहा है। उसको इस तरीके से नहीं देखना होगा कि उसका कर्माशियल पैटर्न कैसा है, उसको कैसे इस पैटर्न पर लाएं। आप इस तरीके से सोच कर इस ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना को चलाएं और अधिक से अधिक इस योजना का विस्तार करें।

राजस्थान के अन्दर और जो दूसरी पिछड़ी हुई स्टेट्स हैं उनमें जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनमें ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बहुत पीछे

है और छठी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य आपने रखे हैं, राजस्थान में 50 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति भी अभी तक नहीं हुई है। आपके पास बिजली की जेनरेशन की कमी है, इसलिए वह नहीं हुई है। आप के पास जो इन्वुपमेंट्स चाहिए वे नहीं हैं, संसाधन नहीं हैं और इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसी तरह से आप के जो बिजली बोर्ड हैं, उनके पास न इंजीनियर हैं और न टेक्नोक्रेट हैं...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Yadav, you may continue tomorrow.

17.57 hrs.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

Forty-seven Report.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SPORTS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BUTA SINGH) : Sir, I beg to present the Forty-seventh Report of the Business Advisory Committee.

17.58 Hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE—Contd.

Notification Under Customs Act, 1962

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI S.B.P. PATTABHI RAMA RAO) : I beg to lay on the Table a copy each of Notification Nos. 219/83-Customs and 220/83-Customs (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 2nd August, 1983 together with an explanatory memorandum regarding increase in the rate of import duty (Basic + Auxiliary) on polyester chips from 175 per cent *ad valorem* to 250 per cent *ad valorem* under Section 159 of the Customs Act, 1962.

(Placed in Library. See No. LT-6790/83)

18.00 Hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August 3, 1983/Sravana 11, 1905 (Saka)